उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

21.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र जाखडों की ढाणी पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि ग्राम जाखड़ों की ढाणी में स्थित मूल खसरा नम्बर 107 के मध्य गैर मूनकीन सड़क का निर्माण होने से मूल खसरा नम्बर 107 के बट्टा नम्बर 820/107 गै.मु. सड़क खसरा नम्बर 819/107 एवं 821/107 अंकित हुए। उक्त बट्टा नम्बर की तरमीम गै.मु. सड़क के आधार पर नही की गई, जिसके कारण काश्त व कब्जे में अशुद्ध तरमीम के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रार्थीगण ने तरमीम शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 06, 09, 10 ने ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त खसरा नम्बरान् की तरमीम मौके पर चल रही सड़क के अनुसार किये जाने में कोई अपाति नही होना अंकित किया है। तहसीलदार बाडमेर से मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तावानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखड़ों का तला में स्थित निम्न खातेदारान एवं गै.मु. सड़क की भूमि में तरमीम संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रेकर्ड के अनुसार रकबा (बीघों में)	किस्म भूमि	दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित रकबा (बीघों में)
1	819/107	105.08	बा.सो.	86.10

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 10/2017 अनवान दमाराम बनाम बनाराम**

2	821/107	45.00	बा.सो.	63.18
3	820/107	06.00	गै.मु. सड़क	06.00
	03	156.08	–	156.08

तहसीलदार बाडमेर तदानुसार तरमीम शुद्धिकरण की कार्रवाई सम्पन्न करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावें। संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner